25/03/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप॰। प्रार्थी॰ का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.26 16:05:08 IST
Reason: SelfAttested

12/27

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

मोहम्मद ईशाक आदि बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः–212 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः– 37/2025 (GCM No. 2025/115)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25.03.2025 | | |

पत्रावली वास्ते बहस प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन कि प्रार्थीगण के नाम से तहसील सूरतगढ की रोही प्रभातनगर के मूल खसरा नम्बर 277 में 70.10 बीघा भूमि टी.सी. पर आंवटन थी। जिसमें से प्रार्थी नं0 1 मोहम्मद ईशाक को 3.062 है0 भूमि खातेदारी व प्रार्थी नं0 2 बिशु उर्फ मोहम्मद अली को 5.566 है0 खातेदारी भूमि होकर प्रार्थी नं0 1 को खसरा नम्बर 689/277 बना व प्रार्थी नं0 2 का 690/277 बना। जिसकी जमाबंदी शामिल पत्रावली हैं। रोही प्रभातनगर के मूल खसरा नं0 277 में लगभग 150–00 बीघा का खसरा हैं। जिसमें से प्रार्थीगण के अलावा मोहम्मद सदीक पुत्र मिल्लू शाह का कब्जा काश्त हैं। मगर बिना बिना कब्जा काश्त के ही सरकारी मशीनरी ने रोही प्रभातनगर के मूल ख0न0 277 में मिन खसरा दर्शाते हुये ख0न0 688/277 में 4.554 है0 भूमि खुशी मोहम्मद पुत्र लूणेखां व ख0न0 686/277 में 4.554 है0 भूमि मामअली पुत्र लूणे खां के नाम रिकार्ड में दर्ज कर दिया। जबकि खुशी मोहम्मद व मामअली का कतई रोही प्रभातनगर में कब्जा काश्त नही रहा हैं। मात्र पैपर ऑलोटी हैं। जैर रकबा पर हमारा कब्जा काश्त हैं। पैपर आंवटन के आधार पर रकबा राजस्व रिकार्ड में खुशी मोहम्मद व मामअली के नाम से दर्ज कर दिया गया हैं। जो कि गैर कानूनी हैं। जैरवाद भूमि राजस्व रिकार्ड में पैपर ऑलोटी दर्ज होने सेजैरवाद रकबा को अजनबी केता को बैचान करने पर उतारू हैं। यदि वे इसमें कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा व नाहक ही विवाद बढेगा। इसलिये अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में साबित हैं एवं न पूरा होने वाला नुकसान भी प्रार्थीगण को हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जावें एवं पूर्व में जारी असथाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.02.2025 तावाद फैसला कन्फर्म की जावें।

अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की मद सं0 3 में अंकित खुशी मोहम्मद मुत्र लूणे खां के नाम ख0न0 688/277 में 4.554 है0 दर्ज रिकार्ड हैं जो बाद फौत रानी पत्नी खुशी मोहम्मद, श्योकतअली, सीमा बेगम, आरफअली, मीना पि0 खुशी मोहम्मद के नाम विरासतन दर्ज हैं व मामअली पुत्र लूणेखां के नाम ख0न0 686/277 में 4.554 है0 भूमि दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रकबा की बाबत आंवटी श्री खुशी मोहम्मद व मामअली के खिलाफ एक शिकायत न्यायालय अतिरिक्त जिला क्लेक्टर महोदय सूरतगढ के समक्ष अन्तर्गत धारा 11/14 प्र0सं0 10/2009 अनवान मो0 ईशाक बनाम मामअली एवं प्र0सं0 11/2009 अनवान मो0 ईशाक बनाम खुशी मोहम्मद आदि पेश की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनो शिकायत माननीय न्यायालय द्वारा आंवटीयो का आंवटन विधि अनुरूप मानकर दिनांक 29.09.2010 को खारीज फरमाई गई। जिसकी प्रति शामिल मिसल हैं। न्यायालय अतिरिक्त जिला क्लेकटर द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 29.09.2010 के खिलाफ प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष दो अपीले कमशः 150/2010 मो0 ईशाक बनाम मामअली व 151/2010 मो0 ईशाक बनाम खुशी मोहम्मद पेश की। जो दिनांक 21.03.2014 को खारीज कर दी गई एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02.1997 को यथावत् रखा। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 21.03.2014 के खिलाफ प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील कमशः कमशः 2323/2014 मो0 ईशाक बनाम मामअली व 2325/2014 मो0 ईशाक बनाम खुशी मोहम्मद पेश की। जो दिनांक 11.12.2014 को सारहीन मानकर खारीज कर दी गई। न्याया[illegible] श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 21.03.2014 व माननीय राजस्व मण्डल अज[illegible] निर्णय दिनांक 11.12.2014 के खिलाफ प्रार्थीगण द्वारा सिवि[illegible] बनाम मामअली पेश की। जो दिनांक 14.02.20[illegible] दी गई। जिसकी प्रति शामिल पत्रावली हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.26 16:05:08 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण द्वारा विभिन्न न्यायालयो में [illegible]र्थी खुशी मोहम्मद व मामअली के आंवटन को चुनौती दी हैं। परन्तु प्रार्थीगण किसी भी न्यायाल के समक्ष खुशी मोहम्मद व मामअली के आंवटन को अवैध घोषित नही कर पाये। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25.03.2025 | उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस उपरान्त पत्रावली में शामिल दस्तावेजो व न्याय निर्णयो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि पहला प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में एसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या रिकार्ड प्रस्तुत नही किया हैं जिससे यह साबित हो कि उक्त ख0न0 277 का पूर्व में उसे आंवटन हुआ हो और पत्रावली में ऐसा कोई अभिलेख भी प्रस्तुत नही हैं। दुसरा प्रार्थीगण द्वारा विभिन्न न्यायालयो के समक्ष आंवटी खुशी मोहम्मद व मामअली के आंवटन को चुनौती दी गई हैं। परन्तु माननीय न्यायालयो द्वारा इनके आवंटन को वैद्य मानकर प्रार्थीगण के अरोपो को खारीज किया हैं। तीसरा आंवटीयो को जैर प्रार्थना पत्र रकबा आंवटन अधिकारी सूरतगढ द्वारा दिनांक 12.02.1997 द्वारा पुख्ता आंवटन हैं। जो कि तहसीलदार एवं पटवारी हल्का के रिपोर्ट अनुसार कब्जा काश्त मानकर एवं जैर वाद रकबा का अस्थाई काश्तकार दर्ज होने के कारण पुख्ता अवंटन किया गया हैं। जिसके खिलाफ भी प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की। जो दिनांक 21.03.2014 को खारीज कर दी गई। चौथा आंवटी खुशी मोहम्मद के वारिस व मामअली राजस्व रिकार्ड में पु0आंवटी दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा उनके खिलाफ अनुतोष मांगा हैं जबकि उनको प्रार्थना पत्र में अपना हित रखने हेतु पक्षकार नही बनाया हैं। जो हितबद्व पक्षकार हैं। जिन्हे प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाना आवश्यक हैं। पांचवा जैरवाद रकबा प्रार्थीगण के नाम से किसी भी किस्म का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में साबित नही हैं एवं मौका पर कब्जा सम्बन्धि कोई रिकार्ड नही होने के कारण न पूरा होने वाला नुकसान प्रार्थीगण को नही हैं।<br>अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण निरस्त फरमाया जाता हैं एवं पूर्व में जारी निषेधाज्ञा दिनांक 19.02.2025 भी निरस्त की जाती हैं। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर फरमाई जावें।<br>निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुना गया।<br><br>(सन्दीप कुमार)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सूरतगढ<br>उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Sandeep Kumar<br>Date: 2025.03.26 16:05:08 IST<br>Reason: SelfAttested | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ